संख्या-962/2017/2331/22-2-2017-17(95)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर, 2017**

विषय:-आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी माला पत्नी श्री मोरध्वज, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-32403/प्रोबेशन-3/(एम-22.06.2017) दिनांक-07.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 07.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष महिला बन्दी माला पत्नी श्री मोरध्वज, ग्राम कटेसर थाना-हरगांव, जनपद-सीतापुर की निवासिनी है। महिला बन्दी माला के राजेश कुमार से अवैध सम्बन्ध थे। राजेश कुमार पत्नी सुषमा से दहेज में मोटर साइकिल आदि की मांग करता था। दिनांक 04.06.1998 को महिला बन्दी माला ने अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्रीमती सुषमा पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-133/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-2, जनपद-सीतापुर के आदेश दिनांक 22.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 19.06.2017 तक 18 वर्ष 07 माह 14 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 00 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड अपनी आख्या में अंकित किया है कि महिला बन्दी माला ने राजेश कुमार से अवैध सम्बन्धों के कारण दिनांक 04.06.1998 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्रीमती सुषमा पर मिट्टी का तेल डालकर जला कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-41 वर्ष 05 माह लगभग है। बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, अपराध करने में अशक्त न होने के दृष्टिगत गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा'-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी माला पत्नी मोरध्वज को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी माला (बन्दी संख्या-1953) पत्नी मोरध्वज, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त महिला बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से महिला बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-962/2017/2331(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-962/2017/2331/22-2-2017-17(95)/2014
दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक
सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध महिला बन्दी माला (बन्दी संख्या-1953) पत्नी श्री मोरध्वज, ग्राम कटेसर, थाना-हरगांव, जनपद-सीतापुर की निवासिनी है। महिला बन्दी माला के राजेश कुमार से अवैध सम्बन्ध थे। राजेश कुमार पत्नी सुषमा से दहेज में मोटर साइकिल आदि की मांग करता था। दिनांक 04.06.1998 को महिला बन्दी माला ने अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्रीमती सुषमा पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-133/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-2, जनपद-सीतापुर के आदेश दिनांक 22.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 19.06.2017 तक 18 वर्ष 07 माह 14 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 00 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड अपनी आख्या में अंकित किया है कि महिला बन्दी माला ने राजेश कुमार से अवैध सम्बन्धों के कारण दिनांक 04.06.1998 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्रीमती सुषमा पर मिट्टी का तेल डालकर जला कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-41 वर्ष 05 माह लगभग है। बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, अपराध करने में अशक्त न होने के दृष्टिगत गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा[1]-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी माला पत्नी मोरध्वज को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in